विधायी शोध संदर्भ एवं प्रशिक्षण कोषांग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

राँची

प्रथम झारखण्ड छात्र संसद

2021

रमेश बैस
राज्यपाल, झारखण्ड

राज भवन
राँची - 834001
झारखण्ड

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 30-31 अक्टूबर, 2021 को प्रथम छात्र संसद का आयोजन किया जा रहा है।

प्रत्येक राष्ट्र और समाज का पूर्ण विकास उसकी युवा शक्ति पर निर्भर करता है। किसी भी राष्ट्र और समाज का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने युवाओं के विकास हेतु कितना सचेष्ट है तथा उन पर कितना निवेश करता है। ऐसे में विधान सभा द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजन से दीर्घकालिक लाभ होंगे।

मुझे आशा है कि इस कार्यक्रम में भाग लेनेवाले प्रतिभागी इससे लाभान्वित होकर अपने अनुभव एवं अर्जित ज्ञान से पूरे समाज को लाभान्वित करेंगे।

झारखण्ड विधान सभा अध्यक्ष, सभा सचिवालय एवं सभी प्रतिभागियों को इस कार्यक्रम की सफलता हेतु शुभकामनाएं।

(रमेश बैस)

हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री

संदेश

यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि झारखण्ड विधान सभा द्वारा प्रथम झारखण्ड छात्र संसद का आयोजन किया गया है। संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में राज्यभर के छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने का यह एक प्रासंगिक एवं प्रशंसनीय प्रयास है। राज्य सरकार यह मानती है कि राज्य के नवनिर्माण और समावेशी विकास के लिए युवाओं को सुदृढ़ और जागरूक बनाना नितांत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से मरड. गोमके, जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गयी है। इस योजना के तहत पहली बार राज्य के पांच छात्रों को विदेश जाकर पढ़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है, वहीं खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर हमारे राज्य के युवाओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य को गौरवान्वित करने का काम किया है। राज्य सरकार लगातार ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है।

झारखण्ड विधान सभा में आयोजित यह छात्र संसद राज्य के युवाओं को लोकतांत्रिक प्रणाली के बारे में सीखने और समझने का अवसर तो प्रदान करेगा ही साथ ही उन्हें अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का एक मंच भी प्रदान करेगा। मुझे आशा है कि आप सभी छात्र इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे।

मैं विधान सभा सचिवालय एवं माननीय अध्यक्ष महोदय को इस अनोखी पहल के लिए साधुवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि यह कार्यक्रम अपने उद्देश्यों में पूरी तरह सफल रहेगा। मैं सभी प्रतिभागी छात्र-छात्राओं को भी अपनी शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

जोहार,

(हेमन्त सोरेन)

कांके रोड, राँची - 834008 (झारखण्ड)
दूरभाष : 0651-2280886, 2280996, 2400233 फैक्स : 2280717, 2400232
ई-मेल : chiefminister.jharkhand19@gmail.com

आलमगीर आलम
मंत्री
संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य, पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी0
विशेष प्रमण्डल सहित) झारखण्ड सरकार।

झारखण्ड मंत्रालय
प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची - 834004
दूरभाष : 0651-2400238 (का.)
फैक्स : 0651-2400237 (का.)

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि झारखण्ड विधान सभा द्वारा प्रथम झारखण्ड छात्र संसद का आयोजन किया जा रहा है। यह सभा सचिवालय एवं सभा सचिवालय के अन्तर्गत स्थापित विधायी शोध संदर्भ शाखा के द्वारा की गई एक नायाब पहल है। राज्य के युवाओं तक संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में न केवल जानकारी पहुँचाना बल्कि उसका प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किये जाने की दिशा में किया गया यह प्रयास प्रशंसनीय है।

मैं आशा करता हूँ इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागी इस कार्यक्रम का लाभ उठाएंगे और संसदीय व्यवस्था के बारे में अच्छी समझ बना पाएंगे। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय और सभा सचिवालय एवं सभी प्रतिभागी छात्र-छात्राओं को इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी मंगल कामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

(आलमगीर आलम)

रबीन्द्र नाथ महतो
अध्यक्ष
झारखण्ड विधानसभा, राँची

RABINDRA NATH MAHTO
SPEAKER
JHARKHAND LEGISLATIVE ASSEMBLY
RANCHI

प्रस्तावना

15 नवम्बर 2021 को हमारा राज्य झारखण्ड 21 वर्षों का हो जाएगा। मानव जीवन में यह आयु परिवार, समाज और अपनी जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेने की है। यही वह समय है जब व्यक्ति अपने परिवार के दिए हुए संस्कार, शिक्षक की दी गई शिक्षा और सामाजिक परिस्थितियों से सीखे गए जीवन के पाठ के साथ अपने जीवन में स्वयं द्वारा निर्माण के प्रयत्न प्रारम्भ करता है और उसके इन प्रयत्नों की सार्थकता समाज और राष्ट्र के विकास की दिशा तय करती है। अंग्रेजी में एक कहावत है 'catch them young' मेरा मानना है कि अगर युवा शक्ति की प्रवीणता और संव्यवहार को सही समय पर सही उद्देश्य और ऊर्जा के साथ तराशने का प्रयास किया जाए तो राष्ट्र निर्माण में यह मील का पत्थर साबित हो सकता है।

एक युवा राज्य होने के साथ-साथ हमारे राज्य का राजनैतिक नेतृत्व भी अपेक्षाकृत युवा है। राज्य विधान मंडल में 82 में से 24 विधायक पहली बार विधान सभा आएँ हैं। राज्य में कुल 25 विधायकों की आयु 50 वर्ष से कम है और 11 की आयु तो 40 वर्ष से भी कम है। इन समस्त युवा माननीय सदस्यों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु एक अच्छी संख्या में संवैधानिक मामलों के मर्मज्ञ वरिष्ठ सभासद भी इस सदन में हैं। राज्य का नेतृत्व एक युवा के हाथों में है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री में से एक हैं। ऐसे में राज्य का युवा, राज्य की राजनैतिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में क्या सोचता है? इसके संबंध में उसकी समझ क्या है? और इसमें उसके रचनात्मक योगदान हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, इन्हीं सब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए झारखण्ड छात्र संसद का आयोजन किया जा रहा है। यह छात्र संसद राज्यभर के छात्रों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति का एक मंच प्रदान करेगा ही, साथ ही हमारी कोशिश होगी की युवाओं को हम संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के मूल अवयवों, कार्य प्रणाली आदि के सामान्य विषयवस्तु से अवगत करा सकें।

इसे राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा का स्वरूप इसलिए दिया गया है क्योंकि प्रतिस्पर्धा में व्यक्ति अपना सबसे बेहतर योगदान देने का प्रयास करता है। प्रतियोगिता में जिसकी तैयारी सबसे बेहतर होती है वह जीतता है, परन्तु जो जीत नहीं पाता उसे भी प्रतियोगिता बहुत कुछ सीखा जाती है। इसलिए इस छात्र संसद में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रतिभागी से मेरा आग्रह होगा की खुले मन से राज्य की संसदीय

अध्यक्षीय कार्यालय दूरभाष : 0651-2440400, फैक्स : 0651-2441712, मोबाइल : 9431370329, 8002513007
आवासीय कार्यालय दूरभाष : 0651-2281884, फैक्स : 0651-2284046
email : speaker.jla@gov.in

लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखने और समझने का प्रयास करेंगे। सभा सचिवालय द्वारा आपके आलेखों के लिए जिन विषयों को चिन्हित किया गया था वे अत्यंत ही समीचीन और विचारोत्तेजक थे। आप सबों ने एक से बढ़कर एक आलेख भेजे। मैं उन आलेखों को जीत और हार की कसौटी पर नहीं देखता हूँ और उनमें प्रतिबिम्बित हुए आपके सार्थक और उपयोगी विचारों को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। online प्रतिस्पर्धा के दौरान भी आप सबों की प्रस्तुति एक से बढ़कर एक थी। आने वाले 2 दिनों में हम सबने संसदीय व्यवस्था के बारे में अध्ययनरत देश की उत्कृष्ट संसदीय शोध की संस्था PRS Legislative Research के साथ मिलकर कार्यक्रम निर्धारित कर रखा है। इनके माध्यम से आपको संसदीय व्यवस्था के काम करने के तरीके के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा। आशा है कि यह अनुभव आपके लिए रोचक और ज्ञानवर्द्धक होने के साथ-साथ हमारे राज्य झारखण्ड के नवनिर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

युग के युवा,
मत देख दाएँ,
और बाएँ, और पीछे
झाँक मत बगलें, न अपनी आँख कर नीचे,
अगर कुछ देखना है, देख अपने वे वृषभ कंधे
जिन्हें देता निमंत्रण
सामने तेरे पड़ा
युग का जुआ,

हरिवंशराय बच्चन जी की कविता युवाओं को प्रेरणा तो देती ही है। उनकी जिम्मेवारी को भी रेखांकित करती है।

मेरा विश्वास है इस कार्यक्रम की सुखद स्मृतियाँ आप अपने साथ लेकर जाएंगे।

शुभेक्षाओं के साथ

Mahato

(रबीन्द्र नाथ महतो)

अध्यक्षीय कार्यालय दूरभाष : 0651-2440400, फैक्स : 0651-2441712, मोबाइल : 9431370329, 8002513007
आवासीय कार्यालय दूरभाष : 0651-2281884, फैक्स : 0651-2284046
email : speaker.jla@gov.in

विषय सूची

झारखण्ड विधान सभा में संसदीय व्यवस्था के अनूठे प्रयोग	1
सभा में विधायक की भूमिका	3
विधान सभाः एक नजर	4
विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही	5
कानून का निर्माण	9
बजट की निगरानी	15
समितियां	18
झारखण्ड वृक्ष संरक्षण विधेयक, 2021	21

झारखण्ड विधान सभा में संसदीय व्यवस्था के अनूठे प्रयोग

झारखण्ड विधान सभा ने विगत् बीस वर्षों में कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिसने लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली को मजबूती प्रदान की है। कुछ ऐसी संसदीय व्यवस्थाएँ हैं, जिसके उदाहरण अन्य राज्य विधान सभाओं में विरले ही मिलते हैं।

संसदीय लोकतंत्र में प्रश्न काल सर्वाधिक महत्व रखता है। संसद सहित अन्य सभी विधान सभा में सत्रावधि के दौरान सोमवार से शुक्रवार तक पाँच दिनों में सरकार के विभिन्न विभागों को सभा में सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर देने हेतु पाँच वर्गों में विभक्त किया जाता है। यदि सत्र की बैठकें पाँच दिनों से कम की होती है या किसी सत्र में कोई एक वार कम होता है, तो उस दिन के लिए पूर्व निर्धारित विभागों से संबंधित प्रश्न सभा में नहीं लिए जाते हैं, किन्तु झारखण्ड विधान सभा में सदस्यों के अधिकार की रक्षा करने एवं सभा के प्रति सभी विभागों को उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से प्रश्नों के वर्गीकरण को काफी लचीला बनाया गया है। यदि सोमवार को सभी की बैठक नहीं होती है, तो उस दिन के लिए निर्धारित विभागों को अन्य दिनों अर्थात् मंगलवार से शुक्रवार तक की बैठकों में विभक्त कर दिया जाता है और इस प्रकार छोटे से छोटे सत्र में भी सभी विभागों के प्रश्न पूछने हेतु सदस्यों को अवसर प्राप्त होते हैं। यहाँ तक की यदि सभा की बैठक पाँच दिनों के अतिरिक्त कभी शनिवार को भी होती है तो प्रश्न वर्गों को पुनर्विभाजित करते हुए छः वर्गों में विभक्त कर दिया जाता है।

प्रश्नकाल को अधिक प्रभावी बनाने के लिए झारखण्ड विधान सभा ने अनागत प्रश्नों को प्रभावशाली बनाने के लिए समिति गठित की है। अनागत प्रश्न वे होते हैं, जो किसी दिन की सूची में शामिल होते हैं, किन्तु व्यवधान अथवा समयाभाव के कारण सभा में उत्तरित नहीं हो पाते हैं। ऐसे प्रश्न अतारांकित रूप में स्वीकृत प्रश्नों से भिन्न होते हैं, क्योंकि अतारांकित प्रश्न सिर्फ लिखित उत्तर हेतु स्वीकृत किए जाते हैं। जो सदन में प्रश्नोत्तर हेतु सूचीबद्ध नहीं होते हैं। ऐसे अनागत प्रश्नों में शामिल आश्वासनों का शीघ्र निष्पादन हेतु अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति का गठन झारखण्ड विधान सभा में किया गया है।

झारखण्ड विधान सभा में सभी सूचीबद्ध प्रश्नों के प्राप्त उत्तर सभी माननीय सदस्यों को एक समान उपलब्ध कराए जाते हैं। संसद में 20 तारांकित प्रश्नों के उत्तर सदन पटल पर रखे जाते हैं जो सार्वजनिक होते हैं। कतिपय राज्य विधान सभा में केवल सम्बन्धित सदस्यों को ही उत्तर उपलब्ध कराये जाते हैं और प्रारम्भ के 20-25 प्रश्नों के उत्तर ही सार्वजनिक किए जाते हैं।

झारखण्ड विधान सभा में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल की भी व्यवस्था की गई है, जो सोमवार को प्रश्नकाल के उपरान्त आधे घण्टे के लिए निर्धारित होती है। इसमें नीति विषय के मुद्दों पर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछे जाते हैं और सदन में स्वयं मुख्यमंत्री उनका उत्तर देते हैं।

सरकारी आश्वासनों के क्रियान्वयन पर सतत निगरानी हेतु झारखण्ड विधान सभा ने सार्थक पहल की हैं। सभा में दिए गये आश्वासनों पर आगामी सत्र के प्रथम दिन आश्वासनों के कृत कार्रवाई प्रतिवेदन सरकार द्वारा सभा पटल पर रखना नियम में शामिल किया गया है। संसदीय कार्य विभाग द्वारा अन्य विभागों के आश्वासन पर ली गई कार्रवाई की सूचना प्राप्त कर उसे एकत्रित कर सभा पटल पर रखा जाता है। आश्वासनों को ससमय कार्यान्वित करने हेतु यह अनोखा प्रयोग है।

इसी प्रकार शून्यकाल के संदर्भ में भी व्यवस्था की गई है। शून्यकाल की जो सूचना सभा में सदस्यों द्वारा दी जाती है उसके उत्तर आगामी सत्र से पूर्व सभा सचिवालय को विभागों द्वारा उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है जिसे संकलित कर सभा सचिवालय द्वारा सभा पटल पर रखा जाता है।

बजट पर सार्थक चर्चा हेतु एक विशेष व्यवस्था झारखण्ड विधान सभा में की गई है। अमूमन किसी दिन की बैठक में जिस अनुदान की मांग सभा में मंत्री द्वारा की जाती है केवल उसी मांग पर सभा सदस्यों द्वारा चर्चा की जाती है। इस प्रकार जब बजट सत्र कम अवधि का होता है तब सभी महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चा नहीं हो पाती है। झारखण्ड विधान सभा में यह व्यवस्था की गई है कि अनुदान की मांग पर चर्चा हेतु निर्धारित बैठकों में सभी मतदेय विभागों को वर्गीकृत कर दिया जाता है और जो वर्ग जिस बैठक के लिए निर्धारित होते हैं उस दिन उस वर्ग में शामिल सभी विभागों के कार्यकलाप की चर्चा होती है और सरकार का उत्तर होता है भले ही मात्र शीर्ष पर अवस्थित विभाग की मांग सरकार द्वारा पेश किया गया हो और उसकी मांग के विरुद्ध कटौती का प्रस्ताव सभा में पेश किया गया हो। इस प्रकार सभी अनुदानों की मांग पर सभा में चर्चा का अवसर प्राप्त हो जाता है।

सामान्य तौर पर सत्रकाल में सदन में प्रत्येक कार्यदिवस हेतु एक सदस्य के लिए एक निवेदन एवं एक याचिका देने का प्रावधान किया गया है, परन्तु झारखण्ड विधासभा में सत्र के अतिरिक्त अन्य कार्यदिवसों में भी याचिका एवं निवेदन देने की व्यवस्था है।

इसके अतिरिक्त ऐसे अनेकों संसदीय घटनाएँ है, जिसे झारखण्ड विधान सभा ने बीस वर्षों में अनुभव किया है जिससे लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली हमेशा मजबूत ही हुई है।

विधायी शोध संदर्भ एवं प्रशिक्षण कोषांग

सभा में विधायक की भूमिका

विधान सभा सदस्य राज्य की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे उनके सामाजिक और आर्थिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सदन की चर्चाओं का व्यापक असर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, आंतरिक सुरक्षा और अवसंरचना जैसे विभिन्न विषयों पर पड़ता है।

विधायकों की चार मुख्य भूमिकाएं होती हैं। वे राज्य में बनने वाले कानूनों पर चर्चा करते हैं और उन्हें पारित करते हैं। वे सुशासन सुनिश्चित करने के लिए सरकार के कामकाज पर नजर रखते हैं। वे राज्य बजट के जरिए सार्वजनिक संसाधनों के प्रभावी आवंटन को सुनिश्चित करते हैं। वे जनता की आवाज, उनके दुख-दर्द और उनकी समस्याओं को सदन में उठाते हैं और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं।

प्रत्येक राज्य विधान सभा के कार्य प्रक्रिया के निर्धारित नियम होते हैं जो उनके कामकाज को विनियमित करते हैं। विधायकों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि उचित तरीके से कार्य करने के लिए वे इन नियमों का कैसे पालन करें। इस प्रकार वे विधायक के रूप में अपनी भूमिका को प्रभावी तरीके से निभा सकते हैं।

इस पुस्तिका का उद्देश्य यह है कि प्रथम झारखण्ड छात्र संसद हेतु चयनित युवा विधान सभा सदस्य सदन की कार्य प्रक्रिया में रचनात्मक रूप से हिस्सा ले सकें।

विधान सभा: एक नजर

कोई भी सदस्य सदन में व्यापक रूप से दो तरीके से हिस्सा ले सकता है। कुछ प्रक्रियाओं में सदस्य अपनी पार्टियों की सोच को उजागर करते हैं। इसमें सरकारी विधेयकों, बजट इत्यादि पर चर्चा में भागीदारी शामिल है जिनमें पार्टी तय करता है कि किन सदस्यों को बोलना है। विधायी प्रक्रियाओं जैसे प्रश्न काल और शून्य काल में विधायक अपनी पार्टी से स्वतंत्र होकर अपने विचार रख सकते हैं।

सदन में सभी चर्चाओं के लिए समय का आवंटन होता है। सरकारी कामकाज के लिए सदन का समय राजनैतिक दलों के बीच वितरित किया जाता है जो सदन में राजनैतिक दलों की सदस्य संख्या पर निर्भर करता है। फिर राजनैतिक दल तय करते हैं कि चर्चा में कौन भाग लेगा।

सदन की कार्यवाही कार्य प्रक्रिया के नियमों के अनुसार की जाती है जिसे अध्यक्ष द्वारा संचालित किया जाता है। नियमों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि सदस्य को प्रश्न पूछने, मुद्दे उठाने और वाद-विवाद की शुरुआत करने या उसमें भाग लेने के लिए सभा सचिवालय/अध्यक्ष को पूर्व सूचना देनी होती है। इसे 'नोटिस देना' कहते हैं। जैसे सत्र के अधिसूचना निर्गत होने के पश्चात् सदन में अल्पसूचित प्रश्न पूछने के लिए कम से कम सात दिन और तारांकित प्रश्न पूछने के लिए कम से कम चौदह दिन पहले नोटिस देने की आवश्यकता होती है।

कुछ मामलों में अध्यक्ष को विवेकाधिकार प्राप्त है। उदाहरण के लिए विधायकों को लोक महत्व के किसी मुद्दे को उठाने की अनुमति देने का अधिकार अध्यक्ष के पास होता है।

सदन में निर्णय लेना

सदन में सभी फैसलों को प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिन पर सदन में मतदान किया जाता है। आम तौर पर, सदस्य मौखिक रूप से मतदान करते हैं जिसमें प्रस्ताव पर समर्थन के लिए 'हाँ' और विरोध में 'ना' कहा जाता है। अध्यक्ष के यह कहने पर कि अधिकतर सदस्य समर्थन में हैं, इस प्रस्ताव को स्वीकृत माना जाता है। हालांकि प्रत्येक सदस्य के पास यह विकल्प होता है कि वे अध्यक्ष से मत अभिलिखित (रिकॉर्ड) करने को कह सकते हैं जिसे मत विभाजन कहा जाता है। मत विभाजन में प्रत्येक सदस्य के वोट को रिकॉर्ड किया जाता है।

विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही

परिचय

संसदीय लोकतंत्र में सरकार अपने कार्यों के लिए विधान मंडल के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह होती है। इसलिए सरकार के कार्यों की समीक्षा करने के लिए विधायकों को अनेक प्रकार के साधन हासिल होते हैं। वे प्रक्रियागत उपायों के जरिए ऐसा कर सकते हैं जैसे सरकारी नीतियों पर प्रश्न पूछ सकते हैं और राज्य के जन सरोकार के मुद्दों पर वाद-विवाद कर सकते हैं।

प्रश्न काल

प्रश्न काल का प्रयोग सदस्य सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए करते हैं। इस दौरान सदस्य किसी मंत्री से उसके मंत्रालय के दायरे में आने वाले कानूनों और नीतियों के कार्यान्वयन के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ ही इस क्रम में जन सरोकार के मुद्दे पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

मुख्यमंत्री प्रश्नकाल

मुख्यमंत्री प्रश्नकाल वह समय होता है जब सदस्य मुख्यमंत्री से सीधे सवाल कर सकते हैं। इससे सरकार की अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होती है क्योंकि इस दौरान ऐसे प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं जिनके लिए अंतर-मंत्रालयी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है या जो व्यापक सरकारी नीति से संबंधित मुद्दे होते हैं। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल झारखण्ड विधान सभा की एक अनूठी प्रक्रिया है। कुछेक राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों सहित संसद में ऐसे प्रश्नकाल की व्यवस्था नहीं है।

तीनप्रकार के प्रश्न होते हैं-यथा अल्पसूचित/तारांकित एवं अतारांकित जिसमें सत्र काल में सदन में सिर्फ अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं।

अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नः कोई भी सदस्य अल्पसूचित/तारांकित प्रश्न पूछते हैं और संबंधित मंत्री मौखिक उत्तर देते हैं। प्रश्न पूछने वाले सदस्य अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अध्यक्ष दूसरे सदस्यों को भी अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकते हैं।

अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्न की तैयारी

विभिन्न मुद्दों और नीतिगत दृष्टिकोण एवं जन समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार से अल्पसूचित/तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद विधायक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और दूसरे विधायक भी उनसे जुड़े प्रश्न कर सकते हैं।

अनुपूरक प्रश्नों का प्रयोग करके, सरकार से उन मुद्दों पर जवाब मांगा जा सकता है जिनकी व्याख्या संभवतः संबंधित प्रश्न के उत्तर में न की गई हो।

अतारांकित प्रश्नः अतारांकित प्रश्न का उत्तर मंत्रालय द्वारा लिखित रूप में दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि सत्र काल में माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए प्रश्नों में से जो प्रश्न अल्पसूचित या तारांकित रूप में स्वीकृत नहीं हो पाते हैं उन्हें अतारांकित कोटि में परिवर्तित कर दिया जाता है। साथ ही सत्रावधि के बाद के दिनों में भी सत्रावसान के पश्चात एवं अगले सत्र की अधिसूचना के पूर्व की अवधि में कोई सदस्य सप्ताह में अधिक से अधिक दो प्रश्न पूछ सकते हैं।

अतारांकित प्रश्न के लिए तैयारी

अतारांकित प्रश्न के बाद अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है। यही कारण है कि ऐसे प्रश्न आंकड़ों/सूचना से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने में सहायक होते हैं।

सदन में लोक महत्व के विषय और चर्चा

सदस्य सदन में जन सरोकार से संबंधित विभिन्न मुद्दों को उठा सकते हैं। इन विषयों को उठाने के लिए विधायी प्रक्रिया में अलग-अलग नियम हैं। कुछ नियमों के अंतर्गत सदस्य अपनी बात रख सकते हैं और सरकार का ध्यानाकर्षण कर सकते हैं। कुछ नियम सदस्यों को लोक महत्व के मुद्दों को प्रस्ताव की तरह भी रखने का अवसर देते हैं।

सदस्य सदन में अपने राजनीतिक दल की ओर से या स्वतंत्र रूप से कोई मुद्दा उठा सकते हैं। नियमों के अंतर्गत विषय उठाने के बाद सरकार लिखित रूप में सदस्यों को उस विषय पर जानकारी देती है। मुद्दों पर विस्तृत चर्चा कराने के लिए भी नियमों में प्रावधान है और चर्चा के बाद उन पर मतदान हो सकता है। कुछ विषयों पर चर्चा मतदान के बिना भी हो सकती है।

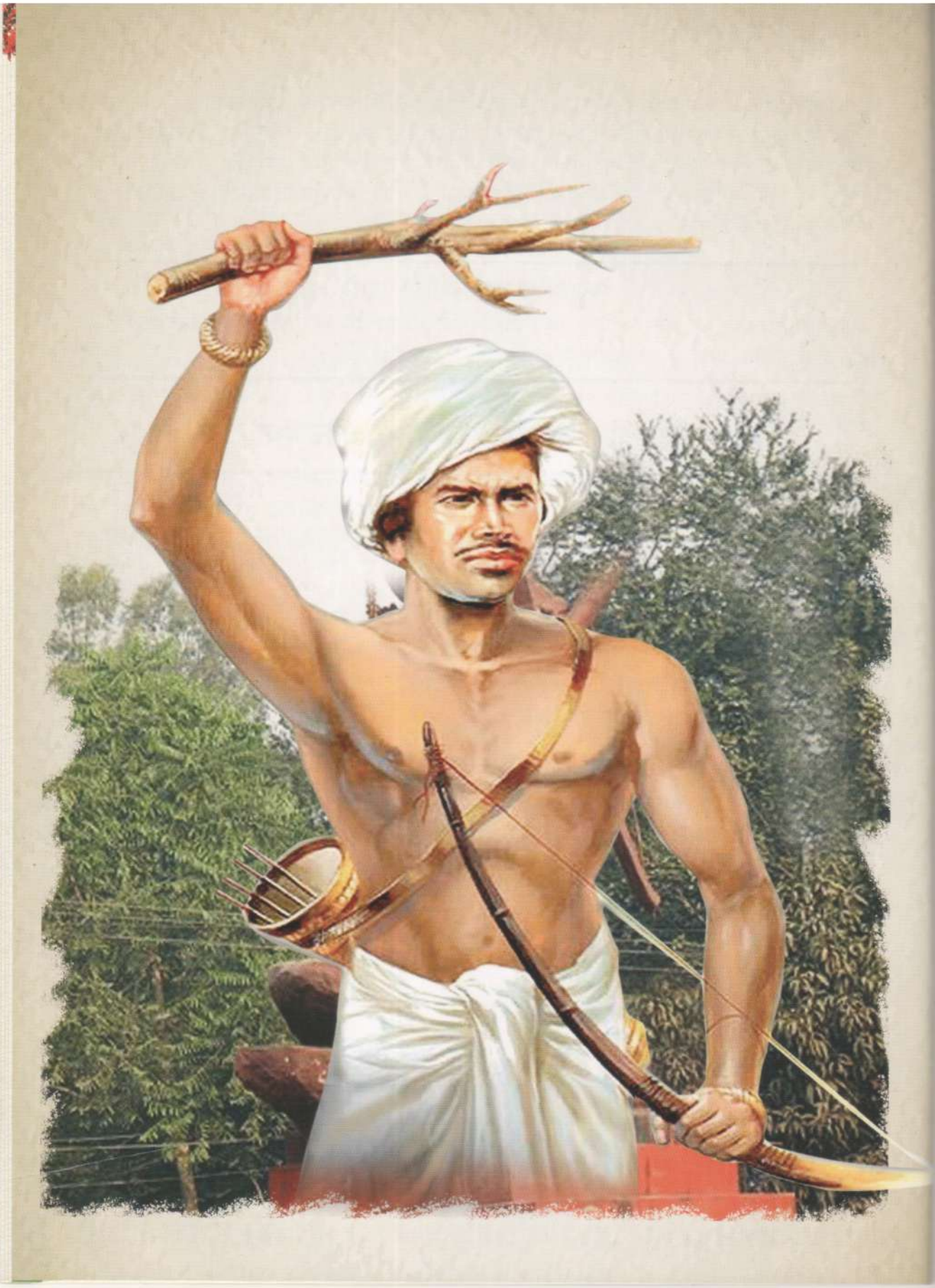

कानून का निर्माण

परिचय

विधान सभा जटिल विषयों पर कानून बनाती है। एक भिज्ञ सदस्य को सदन में भागीदारी करने का और कानून की रूपरेखा निर्धारित करने का अवसर मिलता है। सदस्य सदन में विधेयकों पर चर्चा करके, विधानमंडलीय समितियों में विधेयकों पर विचार-विमर्श करके और गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक पेश करके सदन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।

यह खंड कानून निर्माण की प्रक्रिया को रेखांकित करता है।

कानून का निर्माण

विधेयक राज्य विधान सभा में पारित किया जाता है और फिर उस पर राज्यपाल की सहमति प्राप्त की जाती है। इसके बाद वह अधिनियम बनता है। विधान सभा के पास संविधान की राज्य सूची (पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अंतर्गत आने वाले विषयों या समवर्ती सूची (आपराधिक प्रक्रिया या पारिवारिक कानूनों) के अंतर्गत आने वाले विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। सरकारी विधेयकों को मंत्रियों और गैर सरकारी विधेयकों को किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। विधेयक दो प्रकार के होते हैं, (i) सामान्य विधेयक (राज्य और समवर्ती सूची में आने वाले विषयों पर), और (ii) वित्त विधेयक (कराधान, उधारियों, सरकारी वित्त पोषण, भुगतान या राज्य के समेकित या आकस्मिक कोष से धन निकालना)।

विधि निर्माण प्रक्रिया

- **वितरणः** किसी भी विधेयक को सदन में प्रस्तावित करने से पहले माननीय सदस्यों के बीच वितरित किया जाता है।
- **सभा में प्रस्तुत किया जानाः** मंत्री सदन में किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने के संबंध में प्रस्ताव पेश करता है। सदन में विधेयक को प्रस्तावित करने को "प्रथम वाचन" कहा जाता है। यदि विधेयक को पेश करने का प्रस्ताव नामंजूर हो जाता है तो विधेयक पेश नहीं किया जा सकता।
- एक सदस्य विधेयक का इस आधार पर विरोध कर सकता है कि विधेयक विधान मंडल के क्षेत्राधिकार से बाहर के विधान का प्रवर्तन कर रहा है या संविधान का उल्लंघन कर रहा है। जब किसी विधेयक को पेश करने के प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज की जाती है तो अध्यक्ष विरोध प्रकट करने वाले सदस्य और संबंधित मंत्री को संक्षिप्त वक्तव्य देने की अनुमति दे सकता है। यदि विधेयक का इस आधार पर विरोध किया जाता है कि वह सदन के क्षेत्राधिकार से बाहर का है तो अध्यक्ष विधेयक पर पूर्ण चर्चा की अनुमति दे सकता है। फिर विधेयक को पेश करने के प्रस्ताव पर मतदान किया जाता है। अगर प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो विधेयक पेश किया जाता है।
- **विधेयक को समिति को भेजनाः** विधेयक को पेश करने के बाद उस पर सदन में चर्चा की जा सकती है या उसे विस्तृत जांच के लिए प्रवर समिति के पास भेजी जा सकती है।

- **चर्चा या द्वितीय वाचनः** यदि विधेयक प्रवर समिति को नहीं भेजी जाती है, तो वैसी दशा में उस विधेयक पर खण्डशः विचार कर विचारोपरान्त मतदान कराया जाता है। विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने की दशा में उसके प्रतिवेदन में सन्निहित अनुशंसाओं पर सदन में उस पर चर्चा की जाती है। एक बार प्रवर समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित मंत्रालय विधेयक में उपयुक्त संशोधन करने के लिए रिपोर्ट की जांच कर सकती है।
- विधेयक पर चर्चा की जा सकती है। विभिन्न राजनैतिक दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर वाद-विवाद के लिए समय आवंटित किया जाता है। पार्टी नेतृत्व यह निर्णय लेती है कि आवंटित समयावधि के दौरान कौन से सदस्य बोलेंगे।
- **प्रत्येक धारा पर चर्चाः** विधेयक पर सामान्य चर्चा के बाद उसकी प्रत्येक धारा पर चर्चा होती है। तत्पश्चात, विचाराधीन विधेयक को मंजूर करने का प्रस्ताव रखा जाता है। इस स्थिति में, सदस्य और मंत्री विधेयक में संशोधन प्रस्तावित कर सकते हैं। इसके लिए विधेयक पर जिस दिन विचार किया जाता है, उसके एक दिन पहले नोटिस दिया जाता है। संशोधन का प्रस्ताव रखने वाले सदस्य को स्पष्ट करना होता है कि उन्होंने किस कारण से उस विशिष्ट संशोधन को प्रस्तावित किया है। यदि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य बहुमत से मंजूर करें तो यह संशोधन विधेयक का अंग बन सकता है। इसे "द्वितीय वाचन" कहा जाता है।

प्रवर समिति

विधेयक की धारा में संशोधनों की सूचना की व्यापकता को देखते हुए सभा की सहमति से विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाता है। सभा में विधेयक को प्रस्तुत करने वाले मंत्री प्रवर समिति के संयोजक/सभापति होते हैं। समिति अपना प्रतिवेदन सभा पटल पर रखती है। प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक द्वितीय वाचन के क्रम में सभा द्वारा यथा संशोधित या यथावत पारित की जाती है।

विधेयक पर वाद–विवाद के लिए तैयारी

सदन में वाद-विवाद के लिए तैयारी करने के दौरान निम्नलिखित का ध्यान रखें:

- क्या विधान सभा में उस विधेयक को पारित करने की क्षमता है?
- विधेयक को पारित करने का उद्देश्य क्या है?
- विधेयक के उद्देश्यों को देखते हुए, वैकल्पिक दृष्टिकोण क्या हो सकता है?
- विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट क्या कहती है?
- मौजूदा रेगुलेटरी संरचना पर विधेयक का क्या असर होगा? क्या वह देश/राज्य के किसी मौजूदा कानून का विरोधाभासी है?
- क्या विधेयक के आपसी प्रावधान परस्पर एक दूसरे के विरोधाभासी हैं?
- क्या परिभाषाओं में अस्पष्टता है?
- क्या वित्तीय ज्ञापन में विधेयक के प्रावधानों के वित्तीय प्रभाव, राज्यों पर पड़ने वाले प्रभाव भी स्पष्ट हैं?

- **अंतिम मतः** इसके बाद मंत्री यह प्रस्ताव रख सकता है कि विधेयक पारित किया जाए। इस चरण पर वाद-विवाद विधेयक के समर्थन या विरोध, जैसा कि द्वितीय वाचन में संशोधित किया गया है, तक सीमित रहता है। किसी सामान्य या वित्त विधेयक के कानून बनने के लिए मौजूदा और मतदान में भाग लेने वाले विधान सभा सदस्यों के सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। यह ''तृतीय वाचन'' कहलाता है।
- **सभा में पारित विधेयक का प्रमाणीकरणः** प्रत्येक पारित विधेयक सभा अध्यक्ष द्वारा अपने हस्ताक्षर के साथ राज्यपाल की अनुमति हेतु भेजे जाते हैं।
- **राज्यपाल की अनुमतिः** सदन में विधेयक के पारित होने के बाद उसे राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद विधेयक अधिनियम बन जाता है।

उपर्युक्त प्रक्रिया के अपवाद

- **राज्यपाल विधेयक को लौटा देते हैंः** वित्त विधेयक के अतिरिक्त राज्यपाल द्वारा कोई भी विधेयक सदन को पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। अगर विधान सभा विधेयक को उसी प्रारूप के साथ या संशोधित रूप में, पारित कर देती है और फिर उसे राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजती है तो राज्यपाल को उसे मंजूर करना होता है।

- **राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु रिजर्व कर सकते हैंः** वित्त विधेयक को छोड़कर राज्यपाल किसी भी अन्य विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति हेतु भेज सकते हैं। राष्ट्रपति अपनी सहमति दे सकते हैं या राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं कि वह विधान सभा को पुनर्विचार के लिए विधेयक लौटा दें। विधान सभा से यह अपेक्षा की जाती है कि वह छह महीने के भीतर विधेयक को पारित कर दे और उसे राज्यपाल की सहमति के लिए दोबारा भेज दे।

- **वित्त विधेयकः** अगर ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, तो इस मसले पर अध्यक्ष का फैसला अंतिम माना जाता है। अगर विधान सभा वित्त विधेयक को नामंजूर कर देती है तो सरकार को त्यागपत्र देना होता है।

- **अध्यादेशः** संविधान राज्यपाल को निम्नलिखित स्थितियों में अध्यादेश जारी करने की अनुमति देता हैः (i) जब विधान मंडल का अधिवेशन न चल रहा हो, और (ii) तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो। इन अध्यादेशों का प्रभाव कानून के समान होता है। हालांकि अगले विधान मंडल सत्र के शुरु होने के छह हफ्ते के भीतर अध्यादेश को सदन में मंजूर किया जाना चाहिए, अन्यथा वे रद्द हो जाते हैं।

- अध्यादेश का स्थान लेने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने के दौरान कोई सदस्य यह प्रस्ताव रख सकता है कि वह उस अध्यादेश को नामंजूर करता है। अगर अध्यादेश को नामंजूर करने वाले प्रस्ताव को सदन में पारित कर दिया जाता है तो अध्यादेश रद्द हो जाता है।

प्रत्यायुक्त विधान

- विधेयक के पारित होने के बाद सरकार या अन्य प्राधिकारियों द्वारा किसी भी कानून के नियम और विनियम निर्धारित किए जाते हैं। इन्हें प्रत्यायुक्त अथवा अधीनस्थ विधान कहा जाता है और इनमें नियम, विनियमन, आदेश, अधिसूचनाएँ और उप विधियां शामिल होती हैं। झारखण्ड विधान सभा में प्रत्यायुक्त विधान समिति नियमों और विनियमों की जांच कर अपनी प्रतिवेदन (Report) देती हैं।
- नियमों को पटल पर रखने के बाद सदस्य नियमों को रद्द या संशोधित करने के लिए प्रस्ताव ला सकते हैं। अगर इस प्रस्ताव को मंजूर किया जाता है तो नियमों को यथानुसार संशोधित किया जाएगा।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक ऐसे विधेयक होते हैं जिन्हें ऐसे सदस्य पेश करते हैं जो मंत्री नहीं होते। सदस्यों द्वारा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक का उपयोग सरकारी विधेयकों कि कमियों को रेखांकित करने, राज्य हित के विषयों पर सभी का ध्यान आकर्षित करने या सदन में लोकहित का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। ऐसे विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया सरकारी विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया के समान है।

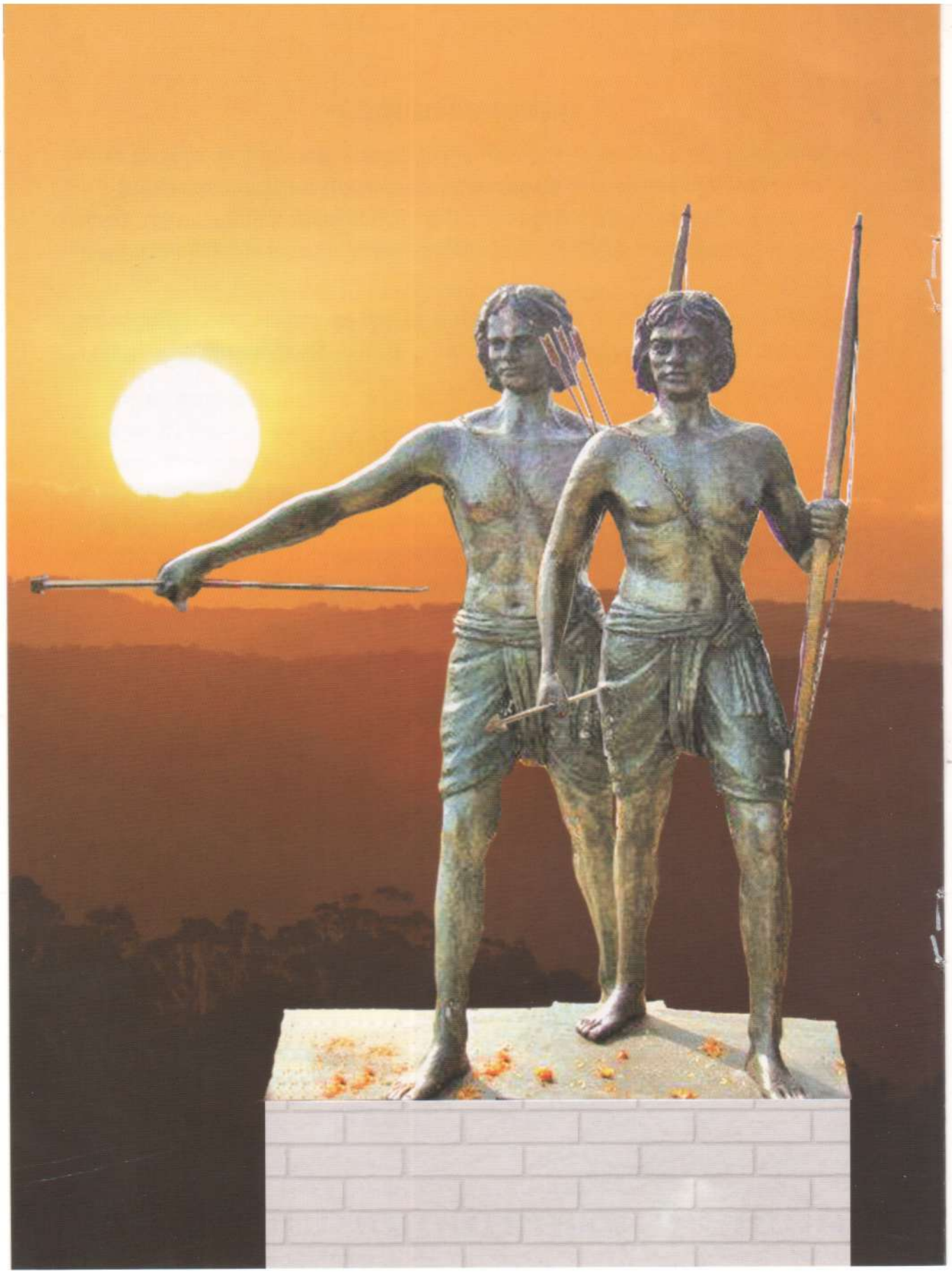

बजट की निगरानी

सरकारी वित्त पर राज्य विधान मंडल की नजर

नागरिकों के प्रतिनिधियों के रूप में राज्य विधान मंडल के सदस्य वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे आम भाषा में बजट की संज्ञा दी जाती है, के जरिए वित्तीय संसाधनों के प्रभावी आवंटन को सुनिश्चित करते हैं। नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के उद्देश्य से इस सरकारी धन को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण, पुलिस और इंफ्रास्ट्रक्चर आदि में खर्च किया जाता है।

सदस्य यह जांच करते हैं कि यह धन कैसे इकट्ठा किया जा रहा है, इसे किस प्रकार खर्च करने की योजना है और क्या इस व्यय से अपेक्षित परिणाम हासिल होंगे। सदस्य दो चरणों पर सरकार को इस खर्च के लिए जवाबदेह ठहरा सकते हैं। पहला, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरु होने से पहले वे बजट की समीक्षा करते हैं और उसे मंजूर करते हैं जिसमें व्यय संबंधी प्राथमिकताओं, कराधान के प्रस्तावों और आगामी वित्तीय वर्ष में उधारियों का उल्लेख होता है। दूसरा, वे मंजूर किए गए व्यय की ऑडिट रिपोर्ट्स की जांच करते हैं ताकि यह देखा जा सके कि आवंटनों को प्रभावी और उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल किया गया है अथवा नहीं।

राज्य बजट की निगरानी

राज्य विधान मंडल दो प्रकार से सरकारी धन राशि की निगरानी करता है: (क) राज्य बजट के जरिए सरकारी व्यय और कराधान प्रस्तावों की जांच और उन्हें मंजूरी, और (ख) विभिन्न कार्यों के लिए आवंटित धन राशि के उपयोग की समीक्षा करना।

विधान सभा में बजट पेश होने के बाद क्या होता है?

बजट पेश होने के बाद सदन में उस पर सामान्य चर्चा होती है। यह चर्चा बजट और सरकार के प्रस्तावों की सामान्य जांच परख तक सीमित होती है। चर्चा के अंत में वित्त मंत्री जवाब देते हैं। इस चरण में मतदान नहीं होता।

आम चर्चा के बाद कुछ राज्यों में मंत्रालयों के व्यय के विस्तृत अनुमान, जिन्हें अनुदान मांगे कहा जाता है, को राज्य विधान मंडल की स्थायी समितियों के पास भेजा जाता है। स्थायी समितियों का एक कार्य मंत्रालयों को आवंटित धनराशि की छानबीन करना है।

स्थायी समितियां निम्नलिखित की छानबीन करती हैं: (i) मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए आवंटित राशि और (ii) मंत्रालय को आवंटित राशि के उपयोग की प्रवृत्ति। अपनी जांच के आधार पर समितियां सदन को अपनी रिपोर्ट सौंपती हैं। समितियों के सुझाव के जरिए विधायकों को मंत्रालयों के प्रस्तावित व्यय के प्रभावों को समझने में मदद मिलती है और वे इन्हें मंजूर करने से पहले पूर्ण भिज्ञ होकर बहस में हिस्सा ले सकते हैं।

रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद क्या होता है और गिलोटिन क्या है

विधान सभा कुछ अनुदान मांगों पर विस्तृत चर्चा करती है। चर्चा के बाद मतदान होता है। जिन मांगों पर चर्चा नहीं होती और वे बिना चर्चा के अंतिम दिन पारित कर दी जाती हैं। इस प्रक्रिया को गिलोटिन कहा जाता है।

झारखण्ड विधान सभा में विभाग आधारित स्थायी समितियाँ नहीं हैं। इसलिए यहाँ अनुदान की सभी माँगों पर चर्चा होती है किन्तु कटौती प्रस्ताव केवल उन्हीं मांग पर चर्चा के लिए सभा में लिए जाते हैं जिनकी मांग सभा में मंत्री द्वारा पेश की जाती है।

अनुदान मांगों पर मतदान के दौरान 'कटौती प्रस्ताव' के जरिए अपनी नामंजूरी व्यक्त कर सकते हैं। अगर कटौती प्रस्ताव पास हो जाता है तो इसका अर्थ यह है कि सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है और कैबिनेट से त्यागपत्र देने की अपेक्षा की जाती है।

सदस्य मंत्रालय के लिए अनुदान की राशि में निम्नलिखित कटौतियों के लिए कटौती प्रस्ताव रख सकते हैं: (i) मंत्रालय की नीतियों से नामंजूरी जताते हुए एक रुपए कम करने की, (ii) एक विशिष्ट राशि की कटौती की (मितव्ययता कटौती), या (iii) विशिष्ट शिकायत दर्ज कराने के लिए 10 रुपए की टोकन राशि की। झारखण्ड विधान सभा में व्यावहारिक रूप में 10 रुपये की सांकेतिक कटौती (Token Cut) ही प्रचलित है।

बजटीय प्रक्रिया के अंतिम चरण क्या हैं?

अनुदान मांग मंजूर करने के पश्चात उन्हें विनियोग विधेयक में समेकित कर दिया जाता है। विधेयक स्वीकृत व्यय के लिए राज्य के समेकित कोष से धन निकासी का प्रयास करता है जिसमें सरकार की सभी प्राप्तियां और उधारियां शामिल होती हैं।

विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद वित्त विधेयक पर भी विचार किया जाता है और उसे पारित किया जाता है। इस विधेयक में कर दरों में परिवर्तनों और विभिन्न संस्थाओं पर कर लगाने से संबंधित विवरण होते हैं।

अगर सरकार वर्ष के दौरान अतिरिक्त धन खर्च करना चाहती है तो क्या होता है?

वर्ष के दौरान अगर सरकार को धन खर्च करने की जरूरत पड़ती है जिसे विधान मंडल द्वारा मंजूर नहीं किया गया है या उसे अतिरिक्त व्यय करना होता है तो वह अनुपूरक अनुदान मांग प्रस्तावित कर सकती है। सामान्य रूप से अनुपूरक अनुदान मांगों को प्रत्येक विधान सभा सत्र में पारित किया जाता है।

लेखानुदान

किसी वित्तीय वर्ष के लिए सभा में पेश किए गये वार्षिक आय-व्यय में से एक तिमाही के लिए उपबंधित राशि के व्यय की स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया लेखानुदान कहलाती है। लेखानुदान का अवसर सामान्यतया तब आता है जब फरवरी-मार्च के उपरान्त शीघ्र ही नई विधान सभा का गठन आम चुनाव के बाद होना होता है।

बजट पारित होने के बाद निगरानी

बजट पारित होने के बाद विधान मंडल की निगरानी इसलिए जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके द्वारा मंजूर राशि को उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। वित्तीय समितियां सरकार के व्यय पर विधायी नियंत्रण की छानबीन करती हैं और सदन में रिपोर्ट पेश करती हैं।

लोक लेखा समिति

वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) राज्य सरकार के आय और व्यय के लेखे को ऑडिट करता है और सदन में अपनी रिपोर्ट पेश करता है। चूंकि सदन के लिए इन सभी रिपोर्ट्स पर चर्चा करना मुश्किल है और इसमें काफी समय लगता है, इसलिए लोक लेखा समिति (PAC) को कैग की रिपोर्ट्स के निष्कर्षों की जांच करने का कार्य सौंपा गया है। पीएसी इस बात की छानबीन करती है कि क्या सरकार उस उद्देश्य के लिए धन खर्च कर रही है जिसके लिए विधान सभा ने व्यय को मंजूर किया है।

रिपोर्ट्स की जांच करते समय लोक लेखा समिति महालेखापरीक्षक के अधिकारियों, विभिन्न मंत्रालयों और विशेषज्ञों से बातचीत करती है। सरकार पीएसी की प्रत्येक रिपोर्ट पर जवाब देती है और बताती है कि उसने किस सुझाव को मंजूर किया और किसे नामंजूर। इन प्रक्रियाओं के आधार पर पीएसी एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार करती है और उन्हें सदन में पेश करती है।

समितियां

राज्य विधान मंडल के कार्यों की जटिल प्रकृति और सत्रों के दौरान उपलब्ध सीमित समय के मद्देनजर सदस्य सदन में किसी विषय की व्यापक रूप से छानबीन नहीं कर पाते, इसलिए सदन का अधिकतर कार्य समितियों द्वारा किया जाता है।

लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली में समिति अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। विधान सभा जब आहूत नहीं रहती है, तब सभा का कार्य सभा के सदस्यों से गठित समिति द्वारा की जाती है। इस निमित्त विभिन्न समितियां होती हैं जो सरकार के वित्तीय कार्यकलापों, विधिक कार्य व्यवस्था और योजनागत कार्यों की सतत् निगरानी करती है।

समितियों में विभिन्न मुद्दों की गहन जांच की जाती है। समितियां प्रस्तावित कानूनों की समीक्षा करती हैं, सरकार की गतिविधियों की निगरानी करती है और सरकारी व्यय की छानबीन करती हैं। समितियों के प्रतिवेदन (Reports) के कारण सदस्यों को किसी विषय पर पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है और सदन में बहस करना सहज होता है। इनके जरिए राजनैतिक दलों के बीच सर्वसम्मति कायम होती है और स्वतंत्र विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ परामर्श किया जाता है।

लोक लेखा समिति (PAC), प्राक्कलन समिति (Estimate Committee) एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (PUC) को वित्तीय समिति कहा जाता है।

लोक लेखा समिति-राज्य की संचित निधि से निकासी के विधिक उपबन्ध तथा उसके विहित व्यय की प्रक्रिया एवं परिणाम की समीक्षा करती है। इसी प्रकार सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, सरकारी उपक्रमों की राज्य की जनता के प्रति दायित्वों की जांच करती है। सरकारी आश्वासन समिति सभा में समय-समय पर दिए गये आश्वासनों के न्यूनतम समय में क्रियान्वयन हुआ या नहीं इसकी समीक्षा करती है।

समिति का गठन अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार के मंत्री इसके सभापति या सदस्य नहीं होते हैं। इसका कार्यकाल सामान्यतया गठन से एक वर्ष के लिए होता है। समिति अपने कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए राज्य के अन्दर स्थल निरीक्षण करती है और राज्य के बाहर समरूप समिति के कार्यकलाप के अध्ययन हेतु भी यात्रा करती है। समिति अपना प्रतिवेदन सभा पटल पर रखती है। इसके पूर्व समिति के सारे कार्यकलाप गोपनीय होते हैं।

समिति के समक्ष विचारणीय विषय एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात समाप्त नहीं होते हैं बल्कि नयी समिति इसे पूरा करती है किन्तु विधान सभा के विघटन के उपरान्त सरकारी आश्वासनों को छोड़ सभी समिति के कार्य व्यपगत अर्थात समाप्त माने जाते हैं।

समिति को सभा का लघुरूप भी कहा जाता है किन्तु अपनी कार्यशैली के कारण यह सभा से भिन्न होती है क्योंकि सभा में मंत्री, सदस्यों के सवाल के लिए उत्तरदायी होते हैं जबकि समिति में सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देने हेतु संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपलब्ध होते हैं।

समितियों के प्रकार

विधान सभा में कुछ समितियों की प्रकृति स्थायी होती है। वह विशेष उद्देश्य के लिए तदर्थ समितियां भी बना सकती है।

विभागों से संबंधित समितियां (डीआरएससी) : प्रत्येक डीआरएससी मंत्रालयों के एक समूह की निगरानी करती हैं। उनका मुख्य कार्य अनुदान मांगों की छानबीन करना है। जांच के दौरान डीआरएससी सरकारी अधिकारियों से संवाद स्थापित करती है, मुख्य हितधारकों से परामर्श करती है और विशेषज्ञों से टिप्पणियों को आमंत्रित करती है।

अनुदानों मांगों की जांच : बजट प्रस्तुत करने के बाद सदन अवकाश के लिए स्थगित कर दिया जाता है। इस अवधि में डीआरएससी अपने दायरे में आने वाले मंत्रालयों की अनुदान मांगों की समीक्षा करती है। वह प्रत्येक मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए आवंटित धनराशि की समीक्षा करती है, साथ ही इस धनराशि के उपयोग की प्रवृत्तियों पर भी नजर रखती है। समिति के सुझावों से विधान सभा सदस्यों को आवंटनों के असर को समझने में मदद मिलती है और वे पूर्ण रूप से भिज्ञ होकर बहस में हिस्सा लेते हैं।

तदर्थ समितियां

विधेयक के पुरःस्थापित होने के बाद सदन जांच के लिए उसे प्रवर समिति को भेज सकता है। ये समितियां विधेयक की व्यापक जांच करती हैं और अपने सुझाव देती हैं। इसके अतिरिक्त समय-समय पर किसी आकस्मिक विषय पर जांच हेतु तदर्थ समिति/विशेष समिति गठित की जाती है।

अन्य स्थायी समितियां

विधान सभा में कुछ अन्य समितियां भी होती है जो कि सदन की कार्यसूची का निर्धारण करती हैं और कुछ अन्य मुद्दों की जांच करती हैं।

अधीनस्थ विधान समिति विभिन्न अधिनियमों के नियमों और विनियमों की जांच करती है। इस बात की भी जांच करती है कि सदन द्वारा सरकार को प्रदत्त शक्तियों का उचित तरीके से उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं।

कार्य मंत्रणा समिति सदन में उठाए जाने वाले विषयों को तय करती है और प्रत्येक वाद-विवाद के लिए समय भी निर्धारित करती है।

झारखण्ड वृक्ष संरक्षण विधेयक, 2021

यह विधेयक राज्य में वृक्षों के संरक्षण के लिए प्रावधान करता है। जबकि झारखण्ड राज्य में शहरीकरण की बढ़ती गति और बढ़ती आबादी के कारण भू-क्षरण और बार-बार आने वाले बाढ़ जैसे पारिस्थितिक अशांति के कारण बड़ी संख्या में वृक्षों की अविवेकी कटाई हो रही है।

इसके निमित्त निरोधात्मक उपाय के तहत राज्य में वृक्षों की अवैध एवं अनियंत्रित कटाई रोकने तथा कटे हुए वृक्षों से हुई पर्यावरणीय क्षति की भरपाई के लिए पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण कार्य की आवश्यकता है, ताकि पर्यावरण संतुलन कायम किया जा सके।

अध्याय - 01

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारम्भ और विस्तार :

(क) यह विधेयक "**झारखण्ड राज्य वृक्ष संरक्षण विधेयक, 2021,**" कहलाएगा।

(ख) यह विधेयक पूरे झारखण्ड राज्य में लागू होगा।

(ग) यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचित होने की तिथि से अथवा जिस तिथि से राज्य सरकार उचित समझे प्रभावी होगा।

2. परिभाषाऐं :

जबतक की संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक इस नियमावली में :

(क) "**प्रधान मुख्य वन संरक्षक**" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य में भारतीय वन सेवा का सर्वोच्च पद का अधिकारी,

(ख) "**अधिकार क्षेत्र**" से अभिप्रेत है एक वन प्रमंडल तक सीमित वृक्ष प्राधिकरण की सीमा,

(ग) "**वृक्षों के संरक्षण और संवर्धन**" से अभिप्रेत है सामान्य वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए वृक्षों का रख-रखाव/ संरक्षण और उन्हें काटने से रोकना तथा नये वृक्ष का लगाया जाना,

(घ) वृक्ष से अभिप्रेत है वैसे काष्ठयुक्त पौधे जिनमें तने के ऊपर विस्तृत शाखाएँ हो तथा उसका तना साढ़े पाँच सेंटीमीटर से कम व्यास का न हो साथ ही न्यूनतम ऊँचाई एक मीटर अवश्य हो। इसके अन्तर्गत ताड, बाँस, बेंत सहित समस्त काष्टयुक्त वृक्ष एवं फलदार वृक्ष आदि आते हैं, लेकिन उड़हुल, गुलाब आदि के पौधे सम्मिलित नहीं होंगे।

(इस विधेयक का प्रारूप झारखण्ड छात्र संसद 2021 के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए किया गया है। झारखण्ड विधान सभा इस विधेयक पर किसी प्रकार का विचार नहीं करेगी।)

(ङ.) "**वृक्ष प्राधिकरण**" जैसा कि विधेयक के अध्याय-2 में परिभाषित किया गया,

(च) "**वृक्ष पदाधिकारी**" से अभिप्रेत है इस विधेयक के प्रयोजन के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा नियुक्त किया गया वन अधिकारी,

(छ) "**वृक्ष मृत्यु दर**" से अभिप्रेत है स्वस्थ्य वृक्षों की असमय मृत्यु,

(ज) "**वृक्षों को कटाई**" से अभिप्रेत है वृक्षों को जड़ से उखाड़ना, वृक्षों को जलाना या काटना या वृक्ष पर ऐसे वृक्ष/शाकनासी का प्रयोग, जो उनके विनाश का कारण बनता है।

अध्याय - 02

वृक्ष प्राधिकरण

3. वृक्ष प्राधिकरण की स्थापना :

(i) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद, यथाशीघ्र राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा झारखण्ड राज्य के प्रत्येक जिले के लिए वृक्ष प्राधिकरण की स्थापना कर सकेगी।

(ii) जिला वृक्ष प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होंगे, उनके नाम इस प्रकार है :

(क) जिला दण्डाधिकारी	:	अध्यक्ष
(ख) उप विकास आयुक्त	:	सदस्य
(ग) वन संरक्षक/वन प्रमण्डल पदाधिकारी	:	पदेन सदस्य-सचिव
(ध) जिला उद्यान पदाधिकारी	:	सदस्य
(ड़) जिला भू अर्जन अधिकारी	:	सदस्य

4. वृक्ष पदाधिकारी की नियुक्ति :

प्रधान मुख्य वन संरक्षक इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक जिले में एक वन अधिकारी को वृक्ष पदाधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेंगे।

5. वृक्ष प्राधिकरण की बैठक :

(i) वृक्ष प्राधिकरण की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार आहूत की जाएगी। बैठक की तिथि एवं स्थान का निर्माण अध्यक्ष कर सकेंगे तथा विहित प्रावधान के अनुसार कार्य व्यापार निर्धारित किया जाएगा।

(ii) वृक्ष प्राधिकरण की एक बैठक आहूत करने के लिए कम से कम तीन सदस्यों का कोरम होगा जिसे धारा-3 की उपधारा-(ii) में संदर्भित किया गया है।

(इस विधेयक का प्रारूप झारखण्ड छात्र संसद 2021 के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए किया गया है। झारखण्ड विधान सभा इस विधेयक पर किसी प्रकार का विचार नहीं करेगी।)

वृक्ष प्राधिकरण के कर्तव्य

6. वृक्ष प्राधिकरण के कर्तव्य :

प्रासंगिक विधेयक या किसी अन्य कानून में कुछ भी होने के बावजूद वृक्ष प्राधिकरण राज्य सरकार के किसी भी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन जिम्मेदार होगा :-

(i) अपने अधिकार क्षेत्र में सभी प्रकार के वृक्षों का संरक्षण,

(ii) जब भी आवश्यक समझा जाय, मौजुदा वृक्षों के स्वामित्व रखनेवाले प्राधिकारी की घोषणा के आधार पर वृक्षों की जानकारी इकट्ठा कर, वृक्ष रजिस्टर तैयार करना;

(iii) उन वृक्षों की संख्या और प्रकार के बारे में मानकों को निर्दिष्ट करना जो भूमि और परिसर के इलाके में होंगे और जो ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में कम से कम प्रति हेक्टेयर पाँच वृक्ष लगाये जायेंगे।

(iv) नर्सरियों का विकास और रख-रखाव, जरूरतमंद व्यक्तियों के मध्य बीज और पौधों की आपूर्ति, जो नये वृक्ष लगाने हेतु इच्छुक हो;

(v) एक ही किस्म या किसी अन्य स्थानीय या देशीय किस्म के पौधों का समानुपाती संख्या में वृक्षारोपण जो प्रत्यारोपित किये जाने वाले वृक्ष की उम्र के बराबर हों,

(vi) विधेयक के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देशित योजनाओं या उपायों को लागू करना,

(vii) भवन निर्माण, सड़क निर्माण, कारखाना, सिंचाई परियोजना, बिजली लाईन, टेलीफोन लाईन या अन्य कार्य योजना के निष्पादन के क्रम में सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों की गहन समीक्षा कर तद्नुसार वृक्षों की कटाई रोकने एवं आवश्यकतानुसार क्षतिपूरक वनरोपण जो भी संभव हो के लिए समुचित अनुमति दे सकेगी।

(viii) प्रत्येक वर्ष विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में वैज्ञानिक तरीके से वृक्षों की छटाई और रख-रखाव को सुनिश्चित किया जायेगा,

(ix) संबंधित जिलों में वन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर जन भागीदारी सुनिश्चित किया जाएगा।

(इस विधेयक का प्रारूप झारखण्ड छात्र संसद 2021 के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए किया गया है। झारखण्ड विधान सभा इस विधेयक पर किसी प्रकार का विचार नहीं करेगी।)

अध्याय - 04

वृक्षों की अवैध कटाई पर प्रतिबंध एवं उनका संरक्षण

7. वृक्षों के कटाई पर प्रतिबंध :

वृक्ष पदाधिकारी के पूर्वानुमति के बिना इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई भी व्यक्ति किसी भी वृक्ष या वन उपज को ना तो काट सकेगा (गिरायेगा) और ना ही हटा सकेगा चाहे किसी भी प्रकार की भूमि जो उसके स्वामित्व में हो अथवा उसके अधिभोग में हो,

परन्तु यह भी कि अगर वृक्ष को तुरन्त नहीं काटा गया तो जान-माल या यातायात को गंभीर खतरा होगा तो वैसी दशा में भूमि का मालिक ऐसे वृक्ष को गिराने या काटने के लिए तत्काल कार्रवाई कर सकता है और इसकी सूचना उसे चौबीस घंटे के भीतर वृक्ष पदाधिकारी को आवश्यक रूप से दे देनी होगी।

8. वृक्ष को गिराने, काटने या हटाने की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया :

(i) कोई भी व्यक्ति जो वृक्ष को गिराना अथवा काटना चाहता है अनुमति के लिए सम्बंधित वृक्ष पदाधिकारी को आवेदन करेगा और ऐसा आवेदन दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों के साथ होगा जो उसके भूमि पर स्वामित्व के समर्थन में होगा। काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या और उनका घेरा जमीनी स्तर से 1.85 मीटर की ऊँचाई पर मापा जायेगा।

(ii) आवेदन प्राप्त होने पर वृक्ष पदाधिकारी, वृक्ष के निरीक्षण करने और ऐसी जाँच करने के बाद जो वह आवश्यक समझे या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से अनुमति दे सकता है अथवा स्पष्ट कारण बताते हुए अनुमति देने से इंकार कर सकता है।

(iii) वृक्ष को काटने या काटने की अनुमति से इनकार नहीं किया जायेगा यदि वृक्ष :-

- सुख गया है, रोगग्रस्त है या हवा से गिर गया हो
- सिल्वीकल्चर रूप से परिपक्व हो चुका हो
- जीवन या संपत्ति के लिए खतरा हो, अथवा
- यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहा हो, अथवा
- आग, बारिश वज्रपात या अन्य प्राकृतिक कारणों से काफी हद तक क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गया हो अथवा
- कोई अन्य कारण जो समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाए।

(इस विधेयक का प्रारूप झारखण्ड छात्र संसद 2021 के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए किया गया है। झारखण्ड विधान सभा इस विधेयक पर किसी प्रकार का विचार नहीं करेगी।)

(iv) वृक्ष पदाधिकारी आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अपना निर्णय देगा बशर्ते कि एक ही क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को एक ही वर्ष के दौरान दो से अधिक अवसरों पर एक हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वृक्षों के पातन की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

(v) यदि वृक्ष अधिकारी उपधारा iv के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपनी अनुमति या असहमति को संप्रेषित करने में विफल रहता है तो धारा 8(3)(vi) के आलोक में अनुमति मानी जा सकेगी।

9. क्षतिपूरक वनीकरण :

वृक्ष प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि अनिवार्य वनरोपण किया जायेगा।

प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के तहत किसी भी वृक्ष को काटने (गिराने) या नष्ट करने की अनुमति दी गई है वह ऐसे वृक्ष लगायेगा जो कम से कम सात साल तक जीवित रहे। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस अवधि के दौरान वृक्षों की मृत्यु दर को समान संख्या में नये वृक्ष लगाकर प्रतिपूर्ति की जाय।

परन्तु, यदि आवेदक के लिए प्रतिपूरक वृक्षारोपण करना संभव नहीं हो, तो आवेदक काटे जा रहे वृक्षों के मूल्यांकन से कम राशि जमा नहीं करेगा, ऐसा मूल्यांकन सरकार द्वारा अधिसूचित पद्धति पर आधारित होगा,

परन्तु इस अवधि के दौरान जमा की गई राशि का उपभोग केवल प्रतिपूरक वृक्षारोपण, उसके संरक्षण के लिए किया जायेगा।

10. धारा 7, 8 और 9 के तहत दिये गये आदेश/निर्देशों का कार्यान्वयन और उनके विफलता पर व्यय की वसूली:

(i) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 9 के तहत दिये गये आदेश/निर्देशों के तहत वृक्ष लगाने के लिए बाध्य है, आदेश या निर्देश प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर प्रारम्भिक कार्य प्रारम्भ कर देगा,

(ii) वृक्ष पदाधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा चूक कि स्थिति में वृक्षारोपण करवा सकता है और निर्धारित तरीके से वृक्षारोपण के लागत को वसूल कर सकेगा।

(इस विधेयक का प्रारूप झारखण्ड छात्र संसद 2021 के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए किया गया है। झारखण्ड विधान सभा इस विधेयक पर किसी प्रकार का विचार नहीं करेगी।)

अध्याय- 05

शास्तियाँ और प्रक्रिया

11. संम्पति की जब्ती :

जहाँ वृक्ष पदाधिकारी के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि इस विधेयक के तहत किसी भी वृक्ष के संबंध में कोई अपराध किया गया है, उक्त वृक्ष या उसके किसी हिस्से के साथ उक्त अपराध के लिए इस्तेमाल किए गए औजार, वाहन या प्रयुक्त किये गये जानवरों को जब्त कर सकते हैं।

12. कंपनियों द्वारा अपराध :

(i) यदि इस विधेयक के तहत अपराध करने वाला व्यक्ति किसी एक कंपनी से संबद्ध हो तो कंपनी के साथ-साथ अपराध के समय उक्त व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी और जिम्मेवार प्रत्येक व्यक्ति इसके लिए उत्तरदायी माना जायेगा और विधि के नियमों के अनुसार कार्रवाई और दंड का भागी होगा।

परन्तु, इस उपधारा में निहित ऐसे व्यक्ति को किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं बनायेगा, यदि वह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और उसने अपराधों को रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाये थे।

(ii) उपधारा (i) में निहित किसी भी बात के बावजूद जहां अपराध इस धारा के तहत आपसी सहमति, मिलीभगत या अवहेलना के कारण किया गया हो, तो निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारियों को उक्त अपराध का दोषी माना जायेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी तथा तद्नुसार दंडित किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरणः- इस खंड के प्रयोजन के लिए :

(क) "कंपनी" से तात्पर्य कोई कॉरपोरेट है, जिसमें एक फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ भी शामिल है, और

(ख) 'निदेशक" से तात्पर्य फर्म का मालिक/भागीदार है।

13. शास्तियाँ :

कोई भी व्यक्ति जो इस विधेयक के किसी भी प्रावधान/आदेशों का उल्लंघन करता है, उसे दोषी ठहराए जाने पर कारावास की सजा का भागी होगा जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है या दस हजार रू0 तक जुर्माना या दोनों दण्डों से भी दंडित किया जा सकता है।

(इस विधेयक का प्रारूप झारखण्ड छात्र संसद 2021 के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए किया गया है। झारखण्ड विधान सभा इस विधेयक पर किसी प्रकार का विचार नहीं करेगी।)

प्रकीर्ण/विविध

14. नियम :

(i) राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा इस विधेयक के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है। नियम निम्नलिखित विषयों से संबंद्ध होगा-

(क) वृक्षों को काटने हटाने या अन्य किसी कार्य की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ समस्त दस्तावेजों की सत्यापित प्रति संलग्न किया जाना अपेक्षित होगा, समस्त दस्तावेजों की जॉच के उपरान्त ही ऐसी अनुमति दी जा सकेगी (धारा 8)

(ख) काटे जा रहे वृक्षों के मूल्यांकन के तरीके को निर्दिष्ट करना (धारा-9)
इस अधिनियम के तहत सरकार द्वारा बनाए गये प्रत्येक नियम को विधान सभा के समक्ष बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र रखा जाएगा।

(ii) इस अधिनियम के तहत सरकार द्वारा बनाए गये प्रत्येक नियम को विधान सभा के समक्ष बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र रखा जाएगा।

15. कार्यवाही पर रोक :

इस अधिनियम या नियमों और आदेशों के तहत सद्भावनापूर्वक किये गये अथवा अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के अधिकार प्राप्त सरकार या अन्य किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा या कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

16. छूट देने की सरकार की शक्तियाँ :

सरकार ऐसी शर्तों के अधीन, जनहित में अधिसूचना द्वारा किसी भी क्षेत्र या पेड़ की किसी भी प्रजाति को इस प्रावधान से छूट दे सकती है।

उद्देश्य और कारण

(1) झारखण्ड राज्य में शहरीकरण की बढ़ती गति और बढ़ती आबादी के कारण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में वृक्षों की अनियंत्रित कटाई हो रही है, जिसके कारण परिस्थितिक असंतुलन यथाः भूमि क्षरण एवं बाढ़ का प्रकोप बढ़ रहा है।

(2) वृक्षों की कटाई से पर्यावरण को काफी नुकसान होता है, इसलिए होने वाले नुकसान को रोकने, पर्यावरण संरक्षण हेतु, राज्य के हरित आवरण को बढ़ाना अपरिहार्य है।

(इस विधेयक का प्रारूप झारखण्ड छात्र संसद 2021 के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए किया गया है। झारखण्ड विधान सभा इस विधेयक पर किसी प्रकार का विचार नहीं करेगी।)

(3) अतएव झारखण्ड वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 2021 राज्य के सभी क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण और पर्याप्त संख्या में नये वृक्षों को लगाने के लिए अधिनियमन करेगा।

(4) प्रस्तावित विधेयक की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार से है :-

(i) झारखण्ड के प्रत्येक जिले में वृक्ष प्राधिकरणों का गठन उसके कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए किया जाएगा;

(ii) वृक्ष प्राधिकरण एवं वृक्ष पदाधिकारियों को वृक्ष की गणना तथा योजनाओं के क्रियान्वयन के निमित्त कर्तव्य का निर्धारण करने के लिए,

(iii) वृक्षों की कटाई रोकने एवं पर्याप्त संख्या में क्षतिपूरक वनरोपण के लिए विस्तृत प्रक्रिया एवं कार्ययोजना प्रस्तुत की जायेगी,

(5) यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

वित्तीय संलेख

समेकित मासिक मानदेय आदि के भुगतान के कारण राज्य के राजकोष पर प्रतिवर्ष लगभग एक करोड़ रूपये का वित्तीय अधिभार पड़ेगा, जिसमें वृक्ष पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन,यात्रा भत्ता, कार्यालय खर्च तथा विविध खर्च शामिल होगें।

(इस विधेयक का प्रारूप झारखण्ड छात्र संसद 2021 के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए किया गया है। झारखण्ड विधान सभा इस विधेयक पर किसी प्रकार का विचार नहीं करेगी।)

लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है,
चढ़ती दीवारों पर, सौ बार फिसलती है।
मन का विश्वास रगों में साहस भरता है,
चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है।
आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।

-सोहन लाल द्विवेदी

SUPPORTED BY :

PRS JLRTC JVSTV

2843_21_Kailash Paper, Ranchi • 1800-8894101